UPCH010001932026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP 1521

सेशन केस नम्बर–48/2026

उ0प्र0 राज्य ....अभियोजक।

बनाम

यागित्री मौर्या पत्नी कल्लू मौर्या, निवासी चकौंध, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

....................अभियुक्ता।

अन्तर्गत धारा–138(बी) भा0विद्युत अधि0
थाना–कर्वी कोतवाली नगर।
जनपद–चित्रकूट।
अपराध संख्या 801/2017

06.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। अभियुक्ता का चालान धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम थाना कर्वी कोतवाली नगर जनपद चित्रकूट में किया गया है तथा इसी अपराध में उसके विरूद्ध आरोप–पत्र भी प्रेषित किया गया है।

दौरान विचारण प्रकरण को सुलह–समझौता हेतु मध्यस्थता केन्द्र, जनपद न्यायालय, चित्रकूट को प्रेषित किया गया, जहॉ पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा पक्षकारो की पहचान व पुष्टि उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी। प्रकरण में पक्षकार विद्युत विभाग की ओर से समझौता पत्र इस बावत स्वीकार किया गया कि अभियुक्ता ने बकाया बिल व शमन शुल्क जमा कर दिया है, अब विभाग का कोई बकाया नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्ता पर लगाया गया आरोप धारा 152 विद्युत अधिनियम में दिये गये प्राविधान के तहत शमनीय अपराध है। अतः अभियुक्ता ने इस अपराध में सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया है तथा धारा 152(1) भारतीय विद्युत अधिनियम के

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2026.03.06 16:28:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तहत शमन शुल्क जमा कर दिया है। विद्युत विभाग द्वारा भी बकाया विद्युत बिल व शमन शुल्क जमा कर दिये जाने सम्बन्धी तथ्य पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्ता के द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्ता व विद्युत विभाग के मध्य प्रकरण में सुलह–समझौता भी हो चुका है। समझौता पत्र कागज संख्या 9क/2 पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य सन्धि–पत्र कागज संख्या 9क/2 में वर्णित तथ्यों एवं अभियुक्ता द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्ता यागित्री मौर्या लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **यागित्री मौर्या** पत्नी कल्लू मौर्या, निवासी चकौंध, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट को मुकदमा अपराध संख्या 801/2017, धारा 138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से उपभयपक्ष के मध्य निष्पादित सन्धि पत्र व अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। सन्धि–पत्र कागज संख्या 9क/2 आदेश का भाग होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–06.03.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521